

# दिल्ली राजपत्र

## Delhi Gazette



प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक

WEEKLY

सं. 13] दिल्ली, अक्टूबर 20—अक्टूबर 26, 2017, बृहस्पतिवार/आश्विन 28—कार्तिक 4, 1939 [रा.रा.रा. क्षे.दि. 296, 297]  
No. 13] DELHI, OCTOBER 20—OCTOBER 26, 2017, THURSDAY/ĀSVINA 28—KARTIKA 4, 1939 [N.C.T.D. 296, 297]

भाग—II-I  
PART—II-I

न्यायिक और मजिस्ट्रेरी मामलों पर अधिसूचनाएं और आदेश, उच्च न्यायालय की अधिसूचनाएं और भारत के निर्वाचन आयोग की विधिक अधिसूचनाओं तथा अन्य निर्वाचन अधिसूचनाओं का पुनः प्रकाशन  
Notifications and Orders on Judicial and Magisterial matters, reproduction of High Court Notifications and Statutory Notifications of the Election Commission of India and other Election Notifications.

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार  
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय, दिल्ली  
अधिसूचना  
दिल्ली, 25 अक्टूबर, 2017

सं.—मु.चु.अ./चु.सं./102(68)/2017/35230.—निम्नलिखित को सर्व साधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :—

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 अक्टूबर, 2017

सं. 23/अधि./ईसीआई/प्रकार्या./ईआरडी-ईआर/2017(खंड II).—यतः, निर्वाचन आयोग ने अपने पत्र सं. 23/पत्र/अधि./ईसीआई/ प्रकार्या./ ईआरडी-ईआर/ 2017 (खंड II) दिनांक 23 अगस्त, 2017 के जरिए 01.01.2018 की अर्हक तिथि के संदर्भ में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली में निर्वाचक नामावलियों के विशेष सार पुनरीक्षण के लिए अनुसूची की घोषणा कर दी थी; और  
यतः, दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अवधि 23 अक्टूबर, 2017 से 13 नवंबर, 2017 तक नियत की गई थी; और  
यतः, प्रारूप नामावलियां यथा-निर्धारित 23 अक्टूबर, 2017 को प्रकाशित की गई थीं; और  
यतः, निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली में निर्वाचक नामावलियों के विशेष सार पुनरीक्षण के चल रहे कार्य की समीक्षा की है; और

यतः, निर्वाचन आयोग ने, ऐसी समीक्षा करने पर, निर्णय लिया है कि दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अवधि 30 नवंबर, 2017 तक बढ़ा दी जानी चाहिए ताकि चल रहे सार पुनरीक्षण के भीतर एक विशेष जाँच अभियान आरंभ किया जा सके जिसमें बूथ लेवल अधिकारी इस प्रयोजन के लिए घर-घर का दौरा करेंगे;

अब, इसलिए, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के नियम 12 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्वाचन आयोग द्वारा 01.01.2018 की अर्हक तिथि के संदर्भ में निर्वाचक नामावलियों के चल रहे विशेष सार पुनरीक्षण के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली में दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अवधि 30 नवंबर, 2017 को सम्मिलित करते हुए एतद्वारा इस तारीख तक बढ़ाई जाती है।

आदेश से,

नरेन्द्र ना. बुटोलिया, प्रधान सचिव

आदेश से

राजेश कुमार, अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, दिल्ली

**OFFICE OF THE CHIEF ELECTORAL OFFICER, DELHI  
NOTIFICATION**

Delhi, the 25th October, 2017

No.CEO/COE/102 (68)/2017/35230.—The following is published for general information:—

**ELECTION COMMISSION OF INDIA  
NOTIFICATION**

New Delhi, the 23rd October, 2017

**No. 23/NOT/ECI/FUNC/ERD-ER/2017 (Vol. II).**—Whereas, the Election Commission had announced the schedule for Special Summary Revision of electoral rolls in the UT of NCT of Delhi with reference to 01.01.2018 as the qualifying date *vide* its letter No. 23/LET/ECI/FUNC/ERD-ER/2017 (Vol.II) dated 23<sup>rd</sup> August, 2017; and

Whereas, the period of filing claims and objections was fixed from 23<sup>rd</sup> October, 2017 to 13<sup>th</sup> November, 2017; and

Whereas, the draft rolls were published on 23<sup>rd</sup> October, 2017 as scheduled; and

Whereas, the Election Commission has reviewed the ongoing exercise of Special Summary Revision of Electoral Rolls in the Union Territory; and

Whereas, the Election Commission has, on such review, decided that the period of filing claims and objections in the Union Territory should be extended up to 30<sup>th</sup> November, 2017, so that a Special Verification Drive within the ongoing Summary Revision can be undertaken in which Booth Level Officers would visit house to house for the purpose;

Now, therefore, the Election Commission, in exercise of the powers conferred by the proviso to Rule 12 of the Registration of Electors Rules, 1960, hereby extends the period for filing claims and objections in



the Union Territory upto and including 30<sup>th</sup> November, 2017 for ongoing Special Summary Revision of electoral rolls with reference to 01.01.2018 as the qualifying date.

By order,  
NARENDRA N. BUTOLIA, Principal Secy.

By Order  
RAJESH KUMAR, Addl. Chief Electoral Officer, Delhi

मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय, दिल्ली  
अधिसूचना  
दिल्ली, 25 अक्टूबर, 2017

सं.-मु.चु.अ./चु.सं./102(68)/2017/35283—निम्नलिखित को सर्व साधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :-

**भारत निर्वाचन आयोग**

अधिसूचना

दिल्ली, 18 अक्टूबर, 2017

सं. 56/2017/रा.दल.अनु- III.—निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण तथा आवंटन) आदेश, 1968 के पैरा 17 के उप पैरा 2 के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग, समय-समय पर यथासंशोधित, अपनी अधिसूचना सं. 56/2016/रा.दल.अनु.-III, तारीख 13 दिसम्बर, 2016, में एतद्वारा निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात:-

1. उक्त अधिसूचना से संलग्न सारणी- II (राज्यीय दल) में-

स्तम्भ 3, 4 व 5 के अन्तर्गत क्रम सं. 5 व 12 पर विद्यमान प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टियाँ क्रमशः अन्तःस्थापित की जाएंगी-

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	राज्यीय दल का प्रतीक	आरक्षित प्रतीक	पता
1	2	3	4	5
5	गोवा	2. गोवा फॉरवार्ड पार्टी	नारियल	शीश महल, दूसरी मंजिल, कार्यालय 4, कोंबा, मडगांव, गोवा - 403601
12	मणिपुर	3. नेशनल पीपुल्स पार्टी	किताब	द्वितीय तल, एमडीयू बिल्डिंग एम. जी. एवेन्यू, इम्फाल-795001 (मणिपुर)

2. उक्त अधिसूचना से संलग्न सारणी - III (रजिस्ट्रीकृत अमान्यता प्राप्त दल) में-

(i) स्तम्भ 1, 2 व 3 के अन्तर्गत क्रम सं. 1837 पर विद्यमान प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टियाँ क्रमशः अन्तःस्थापित की जाएंगी-

क्रम सं.	रजिस्ट्रीकृत अमान्यता प्राप्त राजनैतिक दल	मुख्यालय का पता
1	2	4
1838	संयुक्त विकास पार्टी	ग्राम - सारसौल, पोस्ट ऑफिस - मुनी, थाना - अरनियों, तहसील - खूर्जा, जिला - बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश।
1839	जन जन पार्टी	गली सं0- 7, ग्राम - ममूरा, सेक्टर- 66, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश।
1840	प्रजासत्ताक समाजवादी भारत पार्टी	मकान नं0 - 1-7-281, यादव निवास, राजनगर, पोस्ट - यशवंत नगर, पावडेवाडी नाका, जिला - नांदेड, महाराष्ट्र - 431602
1841	अधिकार पार्टी	234, खिड़की अलीवेग, रेकाबगंज, फैजाबाद, उत्तर प्रदेश - 224001